भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे नो/52/2018 दिनांक: 25 जुलाई, 2018

प्रेस नोट

सभी वीवीपीएटी की सुपुर्दगी मतदान - पूर्व तैयारी करने हेतु अपेक्षित समयावधि के अंदर की जाएगी

मतदान - पूर्व तैयारी और मशीनों की समयबद्ध सुपुर्दगी सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा दैनिक आधार पर मशीनों के विनिर्माण और आपूर्ति का अनुवीक्षण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग को प्रचलित विधि के अनुसार निर्वाचनों के संचालन हेतु उसके अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है न कि अटकलबाजी या तर्क-वितर्क करने का।

हालांकि, सभी अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की 30 सितम्बर, 2018 तक सुपुर्दगी कर दी जाएगी, तथापि, वीवीपीएटी की सुपुर्दगी में विलंब होगा क्योंकि आयोग द्वारा नियुक्त ईवीएम संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने प्रारंभिक बैचों में तकनीकी स्थिरीकरण से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया है और उन्होंने उसमें आवश्यक डिज़ाइन/परिवर्तन शामिल किए हैं। तब भी आयोग द्वारा सभी उत्पादन इकाइयों का व्यक्तिगत दौरा करने के साथ-साथ उच्चतम स्तर पर लगातार अनुवीक्षण के कारण सभी वीवीपीएटी की आपूर्ति भी नवम्बर, 2018 की समप्ति से पहले ही मतदान-पूर्व तैयारियों हेतु अपेक्षित समय के अंदर कर दी जाएंगी।

लोक सभा निर्वाचन, 2019 हेतु सभी मतदान केन्द्रों की 100% पूर्ति हेतु वीवीपीएटी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आयोग ने मई, 2017 मे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) विनिर्माताओं नामत: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद को 16.15 लाख वीवीपीएटी के उत्पादन हेतु आर्डर दिया। आज की तारीख तक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा 5.88 लाख इकाइंया (4.36 लाख बीईएल द्वारा और 1.52 लाख ईसीआईएल द्वारा) उत्पादित की जा चुकी हैं जो कि आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा का 36% है। प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित दिनांक 19 जून, 2018 के आरटीआई जवाब में ऊपर बताई गई वर्तमान स्थिति पर विचार नहीं किया गया है। दोनों पीएसयू ने आयोग को भरोसा दिलाया है कि बची हुई वीवीपीएटी इकाइयों (10.27 लाख) का विनिर्माण एवं विविध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इनकी आपूर्ति नवम्बर, 2018 की समाप्ति से पहले कर दी जाएगी। आयोग, पीएसयू के मुख्य प्रबंध निदेशकों और तकनीकी विशेषज्ञ समिति के साथ वीवीपीएटी के उत्पादन और आपूर्ति

की स्थिति की लगातार और समय-समय पर समीक्षा करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीईसी, जो कि उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन कार्यनिष्पादन का गहनता से पर्यवेक्षण कर रही है, द्वारा सुझाई गई विशेषताओं को शामिल करने के पश्चात ईवीएम और वीवीपीएटी की सभी इकाइयों का डिज़ाइन, उत्पादन और आपूर्ति संबंधी गतिविधियां सुव्यवस्थित और समयबद्ध रूप से पूरी की जा सकें। समयबद्ध सुपुर्दगी और मतदान-पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग के अधिकारी दैनिक आधार पर मशीन के विनिर्माण और आपूर्ति का अनुवीक्षण कर रहें हैं। यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि लोक सभा निर्वाचन-2019 के लिए अपेक्षित ईवीएम की अतिरिक्त मात्रा (13.95 लाख बैलेट यूनिट और 9.3 लाख कंट्रोल यूनिट) के उत्पादन और आपूर्ति संबंधी कार्य को यथानिर्धारित सितम्बर, 2018 तक और वीवीपीएटी के संबंध में यह कार्य नवम्बर, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा।

यहां यह नोट करना भी उपयुक्त होगा कि लोक सभा निर्वाचनों के लिए व्यापक और प्रांरभिक कार्यकलाप पहले से ही विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू कर दिए गए हैं जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) भी शामिल है, और इसे कुशलतापूर्वक, प्रभावी और समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।

इस संबंध में आयोग वर्ष 2019 में लोक सभा निर्वाचनों हेतु वीवीपीएटी की आपूर्ति के संबंध में किन्हीं भी निराधार आशंकाओं का निराकरण करना चाहेगा। आयोग, भविष्य में साधारण तथा लोक सभा के उप निर्वाचनों और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों में सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपीएटी के 100% परिनियोजन हेतु प्रतिज्ञाबद्ध है। पिछले 20 वर्षों से भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करते हुए 113 राज्य विधान सभा निर्वाचन और 03 लोक सभा निर्वाचन आयोजित करवाएं हैं। अधिकाधिक मतदाता सत्यापनीयता के लिए साधारण तथा राज्य विधान सभाओं के सभी उप निर्वाचनों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जून, 2017 से ईवीएम के साथ-साथ वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का भी प्रयोग किया गया है तथा आयोग सभी निर्वाचनों में वीवीपीएटी का प्रयोग करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है।

ह0/-
(पवन दीवान)
अवर सचिव